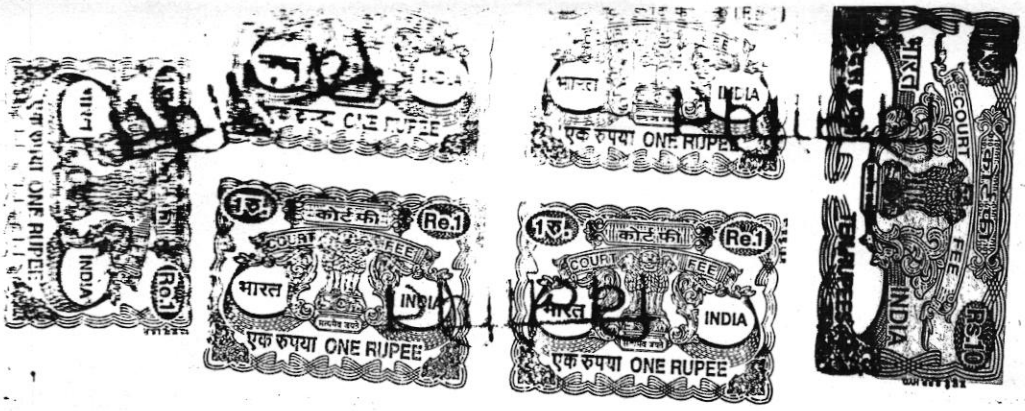

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २०१४ निगरानी R-2553-II/14

१- बाबूलाल, | पुत्रगण सखनलाल जाटव
२- सुरेन्द्र, |
३- वासुदेव, |
४- मुस० रम्मो बेवा सखन लाल,
समस्त निवासीगण ग्राम बांतरी, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।
५- मुस० कमला पुत्री सखनलाल पत्नी सियाराम, निवासिन ग्राम मवंगरोल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।
६- मुस० रामपती पुत्री सखनलाल पत्नी मुन्नालाल,
७- मुस० शकुन्तला पत्नी गनेश,
८- मुस० गीता पत्नी रामजीलाल, निवासीगण ग्राम पचोखरा, तहसील जौरा जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।
९- मुस० रमा पुत्री सखनलाल पत्नी प्रेमचन्द्र, निवासिन ग्राम विरावली तहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।
१०- कु० मीनू पुत्री सखन निवासिन ग्राम बांतरी, तहसील कैलारस जिला मुरैना

-------- प्रार्थीगण

विरुध्द

१- श्रीया पुत्र रतनू जाटव, निवासी ग्राम बांतरी, तहसील कैलारस, जिला मुरैना-म०प्र० ।
२- मुस० किन्ती पुत्री रतनू, पत्नी रन्धीर जाटव, निवासी ग्राम पचोखरा तह० जौरा, मुरैना-

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय,सबलगढ़
जिला मुरैना दिनांकी २८-६-१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता १९५९।प्र०क्र० १६ १७।१२-१३ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रतिप्रार्थी क्र० १ द्वारा प्रस्तुत अपील सरासर अवधि बाह्य थी । अपील को समयावधि में मानने में भूल की गई है ।

४- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रारम्भिक न्यायालय का आदेश सहमति के आधार पर पारित किया गया है तथा प्रतिप्रार्थी क्रमांक ने आदेश में अपनी सहमति दी है तथा उसे आदेश की जानकारी आदेश के दिनांक से ही है ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

५- यह कि, कानूनन सहमति के आधार पर पारित आदेश के बिरुध्द अपील वर्जित होने से अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है ।

६- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने साथी की आपत्तियों पर विचार किये बिना ही मात्र अनुमानों एवं तकनीकी आधारों पर अपील को समयावधि में मान्य किये जाने में भूल की है ।

क्रमश :--२

XXIX(a)-BR(H)-11

398

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2553-एक/14 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	